UPLK010103322024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1633/2024

सरकार **बनाम** राहुल उर्फ कुलदीप यादव

अ0सं0 134/2024
धारा–376,323,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
थाना–बिजनौर, लखनऊ।

05–10–2024

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त राहुल उर्फ कुलदीप यादव जेरे हिरासत न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरूद्ध 376, 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 21–10–2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010103322024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

<u>सत्र वाद सं0 1633/2024</u>

सरकार **बनाम** राहुल उर्फ कुलदीप यादव
अ0सं0 134/2024
धारा–376,323,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
थाना–बिजनौर, लखनऊ।

<u>आरोप</u>

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त राहुल उर्फ कुलदीप यादवको निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि भिन्न–भिन्न तिथियों एवं समय पर, थाना बिजनौर, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत हरिकंशगढ़ी में किराये के मकान में आप अभियुक्त राहुल उर्फ कुलदीप यादव द्वारा वादिनी मुकदमा कोमल के साथ बलात्कार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि 19.04.2024 समय अदम तहरीर उपरोक्त स्थान पर आप अभियुक्त राहुल उर्फ कुलदीप यादव द्वारा वादिनी मुकदमा कोमल को मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि भिन्न–भिन्न तिथियों एवं समय व उपरोक्त स्थान पर आप अभियुक्त राहुल उर्फ कुलदीप यादवद्वारा वादिनी मुकदमा कोमल को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि भिन्न–भिन्न तिथियों एवं समय व उपरोक्त स्थान पर आप अभियुक्त राहुल उर्फ कुलदीप यादवद्वारा वादिनी मुकदमा कोमल को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि भिन्न–भिन्न तिथियों एवं समय व उपरोक्त स्थान पर आप अभियुक्त राहुल उर्फ कुलदीप यादव द्वारा वादिनी मुकदमा कोमल के साथ बलात्कार कारित किया। जो भारतीय दण्ड संहित के अधीन दस वर्ष या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 05–10–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 05–10–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085